कार्यालय जनपद न्यायाधीश कासगंज

नीलामी–सूचना

एतदद्वारा सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है, कि जनपद न्यायालय कासगंज के 18 न्यायालय भवन स्थित मामो कासगंज में खान–पान कैन्टीन के ठेके की नीलामी की कार्यवाही दिनांक 31.03.2021 को पूर्ण न होने के कारण खान–पान कैन्टीन हेतु वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए ठेके की नीलामी पुनः दिनांक 07.04.2021 को समय **04.35** बजे सांय जनपद न्यायालय कासगंज के नजारत अनुभाग में की जाएगी, इच्छुक व्यक्ति समय से उपस्थित आकर नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकते है, ठेके का विवरण एवं शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज से जानकारी ली जा सकती है।

खान–पान कैन्टीन की नीलामी हेतु वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए नियम व शर्तें:–

1– ठेके की अवधि केवल वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए होगी।

2– सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।

3– ठेके की धनराशि का 1/4 भाग उसी समय जमा करना होगा, शेष 1/4 भाग माह जुलाई 2021, शेष 1/4 भाग अक्टूबर 2021 में और शेष 1/4 भाग जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में जमा करना होगा।

4– प्रत्येक बोलीदाता को अंकन 25,000/ रूपये बोली बोलने से पूर्व जमा करने होगे तथा साथ में अपना आई.डी.प्रूफ प्रस्तुत करना होगा।

5– बोली बोलने वाला व्यक्ति काली सूची के अन्तर्गत न आता हो, कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही किसी प्रकार का कोई मामला विचाराधीन हो।

6– बोली स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज के पास सुरक्षित रहेगा।

7– ठेकेदार को अपनी दुकान व आस–पास की साफ–सफाई आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रपत्र सं 139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामान की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत जनपद न्यायायल कासगंज द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगानी होगी, जहा से प्रत्येक ग्राहक सूची को आसानी के देख सके।

8– ठेकेदार ठेके की अवधि में उपयोग की गयी विद्युत का खर्चा स्वयं वहन करेगा।

9– ठेकेदार के पक्ष में छोड़े गये ठेके की धनराशि के मूल्य के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे एवं जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय के प्रपत्र स0 –31/एस दिनांकित 16.03.1988 में दी गयी शर्तों के अनुसार ठेकेदार को बोली के पश्चात 100/रूपये का स्टाम्प पेपर लेकर आना होगा और अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।

Archana 07/04/21		07/04/2021
(अर्चना सिंह)	(गजेन्द्र)	(विजेश कुमार)
सदस्य नीलामी समिति,	सदस्य, नीलामी समिति	अध्यक्ष, नीलामी समिति
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	विशेष न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी एक्ट	प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश
कासगंज।	कासगंज।	कासगंज।